5/6/17 पक्षकारान राजस्व कोर्ट अदालत।
अभियान अन्तर्गत हमीरगढ़ पर पेश
हुए। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
पक्षकारान में निर्णय पूर्वक में किया
जाकर समझाइश पक्षकारान किया गया।
पक्षकारान फैसले मुताबिक होकर
दावा मसल में दर्ज की जावे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार–2017, दिनांक 05.06.2017 केम्प कोर्ट– हमीरगढ

पीठासीन अधिकारी सुश्री रेनु मीणा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या 5/2017**

1. प्रकाशचन्द्र पिता रोशलाल महाजन, निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।

**–प्रार्थी**

**बनाम**

1. गोपाल लाल पिता सोहनलाल ब्रहामण, निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. राजेन्द्र कुमार पिता सोहनलाल ब्राहमण, निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. राधेश्याम पिता मूलचन्द चौधरी, निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. भैरूलाल पिता श्रीराम दरोगा, निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. भंवरलाल पिता रामलाल दरोगा, निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. देबीलाल पिता कल्याण दरोगा, निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. रामचन्द्र पिता कालूराम ब्राहमण, निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. बन्शीलाल पिता कालूराम ब्राहमण, निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. जानकीलाल कालूराम ब्राहमण, निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
10. बालू लाल पिता कालूराम ब्राहमण, निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
11. मदनलाल पिता कालूराम ब्राहमण, निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

**–अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956**

**निर्णय दिनांक 05.06.2017**

प्रार्थी की और से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 08.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ, प0म0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ की कृषि भूमि आराजी न0 1052 रकबा 3–01 बीघा, आराजी न0 1056 रकबा 0–03 बीघा, आराजी नं0 1057 रकबा 2–07 बीघा, आराजी नं0 1059 रकबा 0–06 बीघा, कुल किता 04 रकबा 05–17 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 10.02.2017 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 11 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण क अवलोकन से यह बात है कि प्रार्थी का स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

**आदेश**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ, प0म0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ की कृषि भूमि आराजी न0 1052 रकबा 3–01 बीघा, आराजी न0 1056 रकबा 0–03 बीघा, आराजी नं0 1057 रकबा 2–07 बीघा, आराजी नं0 1059 रकबा 0–06 बीघा, कुल किता 04 रकबा 05–17 बीघा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रिकॅार्ड नियम 1956 के प्रावधानो मे निर्धारित प्रकिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 600/–रू0 पक्षकार – प्रार्थी राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 800/– रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें ।

आदेश आज दिनांक 05.06.2017 को खुला न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें ।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ